कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री पांचूराम पुत्र रामेश्वर प्रजापत ग्रा0 पो0 भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा (राज0)–303325

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई

अपील सं0 62/2017

निर्णय दिनांक 29.11.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/ सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा से निर्धारित अवधि में वॉछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः इस कार्यालय पत्रांक 5969 दिनांक 17.11.17 द्वारा स्मरण–पत्र जारी किया गया। तदनुसार उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई के पत्र क्रमांकः आर0टी0आई0/2017/1559–60 दिनांक 05.10.2017 द्वारा अवगत कराया कि सूचना का संबंध तहसीलदार बसवा से होने के कारण उनके पत्र दिनांक 05.10.17 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत पत्र अंकित किया जाकर आवेदक को सूचित किया गया। किंतु वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार बसवा से बावजूद पत्र इस कार्यालय को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बसवा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा